भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 22

सोमवार, 02 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की समीक्षा

†*22. श्री नवसकनी के.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में घोषित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के प्रारूप और पहुंच की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की है जिससे कि इसका लाभ शहरी और औद्योगिक समूहों तक ही सीमित न रहे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के रामनाथपुरम जैसे पिछड़े और तटीय जिलों के युवाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत ईएलआई के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए रामनाथपुरम जिले में अतिरिक्त कौशल विकास, पुनर्दक्षण और प्रमाणन केन्द्र स्थापित करने का है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ईएलआई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित रूप से सृजित की जाने वाली नौकरियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और इनमें ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत रोजगारपरकता के परिणामों, नियोजन की स्थिरता और कौशल से नौकरी मिलने के अनुपात का पता लगाने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

"रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की समीक्षा" के संबंध में श्री नवसकनी के. द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 22 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमों सहित सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिनांक 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया।

इस योजना का उद्देश्य, 2 वर्षों की अवधि में, तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना में दो भाग अर्थात भाग क और भाग ख शामिल हैं और यह प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर प्रमुख रूप से ध्यान देती है। यह योजना भाग क के अंतर्गत पहली बार नौकरी वाले 1.92 करोड़ पात्र कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान करती है। योजना के भाग ख के अंतर्गत, नियोक्ताओं को लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमों सहित कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्रता-मानदंड निर्धारित करने वाले व्यापक योजना-दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इस योजना और इसके प्रावधानों को गहन आउटरीच प्रयासों के माध्यम से देश भर में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक मजबूत निगरानी ढांचा स्थापित किया गया है। योजना की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम प्रधान और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक संचालन समिति और एक आंतरिक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और लाभार्थियों की वास्तविक समय आधार पर निगरानी और क्षेत्रवार प्रगति के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

समझने में आसानी के लिए इस पोर्टल पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), योजना दिशानिर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) उपलब्ध कराए गए हैं।

यह योजना, आवश्यक कार्यक्रम सुधार के लिए मध्यावधि मूल्यांकन और तृतीय पक्ष द्वारा योजना के परिणाम का आंकलन करने के लिए अंतिम-अवधि के मूल्यांकन का भी प्रावधान करती है।

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अधीन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), रामनाथपुरम सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत, कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य, भारत के युवाओं को उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित कर भविष्य के लिए तैयार करने में समर्थ बनाना है।

कौशल विकास के लिए एमएसडीई की योजनाएं मांग-आधारित हैं और देश भर में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रों (टीसी) की स्थापना की जाती है/सेवाएं ली जाती हैं। रामनाथपुरम में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित या संलग्न प्रशिक्षण केंद्रों (31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार) का विवरण इस प्रकार है:

जिला	पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र (एसटीटी+एसपी)*	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस-2.0 प्रतिष्ठान	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
रामनाथपुरम	11	-	27	07

*अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजनाएं (एसपी)
